

निविदा दस्तावेज (टेंडर डाक्युमेंट) का मूल्य मात्र 100 रुपये है।
निविदा क्र. आईआईआईटीडीएम/2018-19/.....दिनांक.....2018

सेंट्रल मेस के लिए निविदा हेतु आमंत्रण मेस-I (शाकाहारी)

पं.द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान,
जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट आफिस: खमरिया, जबलपुर -482005

टेंडर डाक्युमेंट निम्नलिखित निविदाकार को जारी किया गया:

मेसर्स.....

.....

टेंडर डाक्युमेंट में कुल 27 पृष्ठ हैं। इसे किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

टेंडर की समय सीमा

टेंडर का उद्देश्य : मेस-II के लिए संविदा(ठेका)

बिड के पहले की बैठक:

27 जून,2018(सायं 4 बजे)

टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख:

04 जुलाई 2018 (सायं 3 बजे तक)

टेक्निकल बिड खुलने की तारीख:

04 जुलाई, 2018 (सायं 4 बजे)

कामर्सियल बिड खुलने की तारीख:

बाद में घोषित की जाएगी।

I. कार्य की रूपरेखा

सेंट्रल मेस - I का ठेका सफल बोली लगाने वाले ठेकेदार को दिया जाएगा। प्रत्येक मेस में छात्र सदस्यों की संख्या लगभग 600 होगी। इस अनुमानित संख्या में 10 प्रतिशत की घट बढ़ हो सकती है।

ठेकेदार को स्वयं और छात्रों द्वारा निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार छात्रों, अतिथियों और संस्थान में आने वाले लोगों के लिए नाश्ता, लंच और डिनर बनाना और उन्हें परोसना होगा। मेस की सही देखरेख और उसके आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा नियुक्त मेस मैनेजर के निर्देशन में काम करना होगा और उन्हें पीडीपीएम - ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा।

नोट: सबसे कम की बोली लगाने वाली फर्म को प्रायोगिक तौर पर 01 माह की अवधि के लिए वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इस वर्क आर्डर को प्रोबेशन पीरियड में संतोषजनक कार्य निष्पादन के आधार पर अगले 11 माह के लिए बढ़ाया जाएगा जिसके लिए सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड / पीवीआर विवरण / अन्य जरूरी दस्तावेज आदि जमा करना भी एक शर्त होगी।

II. सेवा शर्त

1) संलग्नक -2 में दिए गए मेन्यू के अनुसार

खानपान की चीजें साफ सफाई और सुरक्षित तरीके से तैयार करनी होगी।

2) ठेकेदार के कर्मचारियों को बड़े कैंटीन, हास्टल और मेस में काम करने का कम से कम 02 साल का अनुभव होना चाहिए और उन्हें शाकाहारी खाना बनाने की समुचित जानकारी और योग्यता भी होनी चाहिए।

3) किचन, डायनिंग हाल, बर्तन धोने वाले क्षेत्र आदि से एकत्र किये हुए कचरे को प्रतिदिन कचरे वाली बंद गाड़ी में रखकर निर्धारित जगह पर ले जाना होगा। ऐसा करते समय जैविक और अजैविक कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था भी करनी होगी। आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखना होगा।

4) प्रत्येक भोजन समय (नाश्ता/लंच/डिनर) के बाद किचन, डायनिंग हाल, हाथ धोने वाले क्षेत्र और बर्तन धोने वाले क्षेत्र की धुलाई पानी तथा साबुन के घोल से करनी होगी और साथ ही इन स्थानों पर पोंछा भी लगाना होगा। इन स्थानों को प्रत्येक 15 दिन में या जब जैसी आवश्यकता पड़े, कीटाणुमुक्त करने की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी।

किसी संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

5) किचन और डायनिंग हाल में उच्च स्तर की स्वस्थकारी स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मेस परिसर के चारों ओर के संपूर्ण क्षेत्र की रोज सफाई एवं धुलाई करनी होगी।

6) खाने पीने की चीजें काउंटर से स्वयं सेवा के आधार पर परोसी जाएंगी। पानी डायनिंग टेबल पर उपलब्ध कराना होगा।

7) प्रत्येक भोजन समय (नाश्ता,लंच और डिनर) के बाद सभी तरह के बर्तन (प्लेट,कप,कटोरी, गिलास,चम्मच,कांटे ,चाकू आदि) की धुलाई साबुन के घोल और गर्म पानी से करनी होगी, उन्हें साफ तरीके से पोंछना होगा और उसके बाद ही उन्हें अगले भोजन समय के लिए व्यवस्थित ढंग से लगाना होगा। इसी तरह भोजन पकाने वाले सभी प्रकार के बर्तनों की धुलाई भी गर्म पानी और साबुन के घोल से करनी होगी, फिर सफाई के साथ पोंछकर ही अगले भोजन पकाने हेतु उनका इस्तेमाल करना होगा।

8. भोजन के प्रत्येक राउंड के बाद टेबल को साफ करना और पोंछना होगा और उसके बाद ही अगले बैच के छात्रों को खाना परोसना होगा। सफाईकर्मी से किचन का काम नहीं कराना होगा।

9) आवश्यकता पड़ने पर केवल बीमार छात्रों के लिए ही उनके हास्टल रूम में भोजन उपलब्ध कराना होगा।

10) हर 15 दिन में वाटर कूलर की सफाई करनी होगी और अधिकृत अधिकारी/ प्रतिनिधि के निर्देशानुसार उनका मेंटीनेंस करना होगा।

11) सभी प्रकार के बर्तनों , डायनिंग एरिया, किचन, वाटर कूलर आदि की सफाई व्यवस्था उच्च स्तर की गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही पाई जाने पर कठोर दण्ड देने की कार्रवाई की जाएगी।

12) चाय आदि के लिए इस्तेमाल होने वाले चम्मचों, टेबल वाली चम्मचों, छूरे,कांटे, चाकू, स्टेनलेस स्टील के गिलासों,कटोरियों आदि की गिनती महीने में एक बार करनी होगी और किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर ठेकेदार जिम्मेदार होगा और उसे कमी की भरपाई भी करनी होगी।

13. मेस -I में निम्नलिखित मशीनें उपलब्ध हैं:

- (i) आलू छीलने वाली मशीन
- (ii) बेन मेरी
- (iii) ब्रेड टोस्टर

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

भोजन तैयार करने के लिए ठेकेदार इन मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। इन मशीनों को हमेशा ठीक ठाक रखने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी। एएमसी की लागत भी ठेकेदार को ही वहन करनी होगी।

III. तकनीकी पात्रता

तकनीकी बोली में योग्यता हासिल करने हेतु एक निविदाकार के लिए निम्नलिखित अर्हता का होना आवश्यक है।

1) निविदाकार को विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र का एक पंजीकृत और लाईसेंसशुदा ठेकेदार होना चाहिए। उदाहरण के लिए उसके पास फूड लाईसेंस , लेबर लाईसेंस आदि होना चाहिए। इसकी पुष्टि हेतु उसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी उपयुक्त दस्तावेज/ प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करना चाहिए।

2) निविदाकारों को समान सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र में काम करने का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। उस अवधि में निविदाकार द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान 3 अलग अलग संस्थानों/संगठनों में समान प्रकृति के 3 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किये गये हों। इस प्रकार के कार्य संपन्न करने का अनुभव प्रतिष्ठित शासकीय/सार्वजनिक निकायों/बड़े औद्योगिक स्थापनाओं/ संगठनों/कंपनियों/शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित होना चाहिए। निविदाकार को ऐसे संगठनों द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें निविदाकार द्वारा संतोषजनक कार्य पूरे किये जाने, ठेके की अवधि एवं भुगतान के प्रकार का उल्लेख हो।

3) निविदाकार को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि उसे पिछले 05 सालों में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

4) निविदाकार के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2014-15, 2015-16, 2016-17) में प्रति वर्ष ढाई करोड़ या उससे अधिक का टर्न ओवर होना चाहिए अर्थात् तीन वर्षों में कम से कम 7.5 करोड़ रुपये का टर्न ओवर। निविदा के साथ इन वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित बैलेंस शीट भी संलग्न किया जाना चाहिए।

5) निविदाकार के पास वैध पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

6. निविदाकार को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिनमें उसके वर्तमान कर्मचारियों को पिछले साल किए गए ईएसआई तथा ईपीएफ पेमेंट का उल्लेख हो।

7. निविदाकार को रुपये 200000/- (दो लाख रुपये) का ईएमडी जमा करना होगा जो पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी क्रासड डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंकर्स चेक के रूप में होगा।

ईएमडी अंतिम बोली अवधि के बाद कम से कम 45 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए। ईएमडी पर कोई व्याज देय नहीं होगा और वह असफल निविदाकार को निविदा खुलने या निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के 30 दिनों के अंदर जो भी बाद में हो, वापस कर दी जाएगी। कोई भी निविदा जिसके पार्ट-ए में ईएमडी जमा नहीं की गई होगी, निरस्त कर दी जाएगी।

IV. तकनीकी पात्रता

- 1) मेस - 1 एवं मेस -2 के लिए एक ही साथ दो निविदायें जारी की जा रही हैं। क्वालिटी, विकल्प, उचित सेवा और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से एक निविदाकार को केवल एक ही मेस का ठेका दिया जाएगा अर्थात् या तो मेस-1 का या मेस-2 का। (इसका मतलब है कि ठेकेदार दो होंगे)
- 2) मेस-1 (केवल शाकाहारी) की वित्तीय बोली सबसे पहले लगाई जाएगी और सबसे कम बोली लगाने वाले एल-1 निविदाकार को ठेका दे दिया जाएगा। यदि मेस-1 के लिए स्वीकृत ठेकेदार ने मेस-2 की निविदा में भी भाग लिया है तब उसकी वित्तीय बोली (शाकाहारी+मांसाहारी) नहीं खोली जाएगी और उसे वापस कर दिया जाएगा।
- 3) ऐसे निविदाकार जिन्होंने दोनो निविदाओं में भाग लिया है परंतु मेस-1 की निविदा का ठेका पाने में असफल रहे हैं उनके मामले में मेस-2 (शाकाहारी+मांसाहारी) के लिए उनकी बोली खोली जाएगी। दोनो मेस के लिए सबसे कम बोली वाले एल-1 निविदाकार का अंतिम चयन मेस-1 और मेस-2 (शाकाहारी दर) के लिए प्रस्तुत न्यूनतम रेट के आधार पर किया जाएगा। इसप्रकार, उस निविदाकार को जिसे बिंदु (2) में यथा उल्लिखित मेस-1 का ठेका दिया गया है उसे शाकाहारी दर के अनुसार ही दोनो मेस के लिए एल-1 होने पर सहमति देनी होगी।
- 4) मेस-2 (शाकाहारी+मांसाहारी) के लिए मांसाहारी भोजन का दर लगाई गई सबसे कम बोली के आधार पर तय किया जाएगा।
ऐसे निविदाकार को जिसे शाकाहारी भोजन के लिए लगाई गई न्यूनतम बोली (एल-1रेट) के आधार पर ठेका दिया गया है उसे मांसाहारी भोजन के लिए कुल मिलाकर एल-1 रेट पर सहमति देनी होगी।

उदाहरण :

मान लीजिए, फर्म मेसर्स ए,बी,सी,डी एवं ई ने दोनो मेस -I और II के लिए निविदा में भाग लिया है तथा फर्म मेसर्स एफ और जी ने मेस -II में भाग लिया है।

मेस -I के लिए भाग लेने वाले निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दर (वित्तीय बोली सबसे पहले खोली गई)

क्र.सं.	फर्म का नाम.	शाकाहारी भोजन दर
1.	मेसर्स ए	रु. 510/-
2.	मेसर्स बी	रु 550/-
3.	मेसर्स सी	रु 650/-
4.	मेसर्स डी	रु 540/-
5.	मेसर्स ई	रु 850/-

मेस -II के लिए भाग लेने वाले निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत दर (वित्तीय बोली मेस-1 के बाद खोली गई)

क्र.सं.	फर्म का नाम	शाकाहारी भोजन दर	मांसाहारी भोजन दर
1.	मेसर्स ए	नहीं खोली गई	नहीं खोली गई
2.	मेसर्स बी	रु. 550/-	रु.130/-
3.	मेसर्स सी	रु. 650/-	रु. 150/-
4.	मेसर्स डी	रु. 500/-	रु. 160/-
5.	मेसर्स ई.	रु. 850/-	रु. 165/-
6.	मेसर्स एफ	रु. 490/-	रु. 170/-
7.	मेसर्स जी	रु. 790/-	रु. 210/-

(1) उदाहरण के अनुसार मेस -I के लिए रु. 510/- की एल-1 बोली लगाने वाले निविदाकार को ठेका दिया जाएगा और उसके द्वारा मेस-II के लिए लगाई गई वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

(2) मेस -II के लिए मेसर्स एफ द्वारा शाकाहारी भोजन हेतु रु. 490/- की एल-1 (सबसे कम) बोली लगाई गई है और मांसाहारी भोजन के लिए मेसर्स बी द्वारा रु.130/- की एल-1 बोली लगाई गई है। इसप्रकार मेस -II का ठेका मेसर्स एफ को दिया जाएगा लेकिन इसके लिए मेसर्स एफ को मांसाहारी भोजन हेतु मेसर्स बी द्वारा लगाई गई रु. 130/- की एल-1 बोली पर सहमति देनी होगी।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

(3) मेसर्स ए जिसे मेस -I के लिए ठेका दिया गया है, उसे मेसर्स एफ द्वारा शाकाहारी भोजन हेतु लगाई गई एल-1 बोली पर अपनी सहमति देनी होगी।

(4) यदि मेसर्स ए कुल मिलाकर लगाई गई एल-1 बोली पर सहमत नहीं होता तब एल -2 वाले निविदाकार से मेसर्स एफ द्वारा कुल मिलाकर लगाई गई एल-1 बोली रू.490/- पर सहमति देने के लिए कहा जाएगा।

(5) किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित / विवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

II. महत्वपूर्ण निर्देश

- 1) टेंडर दस्तावेज का हर पृष्ठ फर्म / एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित तथा सील लगा होना चाहिए।
- 2) टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए।
- 3) टेंडर दो भागों में जमा किया जाना चाहिए जैसे भाग-ए (तकनीकी बोली) और भाग-2 (वित्तीय बोली) ।

4) भाग- ए (तकनीकी बोली) के अंतर्गत

निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए:-

अ) फर्म / एजेंसी का पूर्ण विवरण तकनीकी पात्रता में उल्लिखित सभी वैधानिक हस्ताक्षरित दस्तावेज सहित।

ब) ईएमडी

लिफाफा सीलबंद होना चाहिए और उस पर बड़े अक्षरों में " सेंट्रल मेस -I , पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम के मेस ठेका हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए।

5) भाग-ब में संलग्नक -4 के अनुसार वित्तीय बोली की जानकारी होनी चाहिए

6) निविदा के भाग- ए और भाग-बी को अलग अलग सीलबंद लिफाफे में रखिए और दोनो सीलबंद लिफाफों को एक अलग लिफाफे में रखिए जिस पर यह पता लिखा हो: कुलसचिव, पीडीपीएम- आईआईआईटीडीएम, डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट आफिस: खमरिया, जबलपुर - 482005। लिफाफे पर बड़े अक्षरों में यह भी लिखा होना चाहिए: पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम के मेस-II के ठेके हेतु निविदा । इसे निर्धारित अंतिम समय और तिथि तक या उसके पहले हमें भेज दीजिए।

7) आवेदन पत्र संस्थान के वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पूरी तरह से भरकर "पीडीपीएम - आईआईआईटीडीएम जबलपुर" के पक्ष में देय रू. 1000/- के डिमांड ड्राफ्ट के साथ जो कि टेंडर दस्तावेज की कीमत के रूप में होगा, जमा किया जाना चाहिए।

8) केवल सफल वेंडर की ईएमडी सुरक्षा निधि के रूप में जमा रखी जाएगी जिसे ठेका खत्म होने के बाद बिना किसी ब्याज के और देय काटकर यदि कोई हो, वापस कर दिया जाएगा।

9) यदि ठेकेदार स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार काम पूरा करने में असफल रहता है तो वह अर्थदण्ड के अलावा अपनी ईएमडी / सुरक्षा निधि जब्त किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

10) एजेंसी द्वारा काम पर लगाए गए किसी भी कर्मचारी को चोट लगने, नुकसान होने या दुर्घटना होने या कार्य क्षेत्र में किसी उपकरण के खोने अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

11) ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी यूनिफार्म पहनेंगे और बैज लगाएंगे जो ठेकेदार और एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के अनुशासन के लिए जिम्मेदार होगा। कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे और इसलिए उनका संस्थान पर किसी भी प्रकार का दावा नहीं होगा और वे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे संस्थान को खतरा या नुकसान हो। कर्मचारियों को संस्थान के सुरक्षा तथा अग्निशमन विभागों द्वारा निर्देशित सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। कर्मचारी कोई यूनियन नहीं बनाएंगे और परिसर में किसी प्रकार की यूनियन गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।

12) संस्थान को दो महीने की नोटिस पर बिना कोई कारण बताये ठेका रद्द करने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार आगे ठेका जारी नहीं रखना चाहे तो वह भी दो महीने का नोटिस देकर और संस्थान के देय चुकाकर ठेका रद्द कर सकता है।
दोनों स्थितियों में ठेकेदार अगले तीन साल तक किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं रहेगा।

13) कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संस्थान एक महीने की नोटिस देकर ठेका रद्द कर सकता है।

14) यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा दी गई गलत / झूठी जानकारी के आधार पर ठेका दे दिया गया है तो संस्थान को तुरंत ठेका रद्द करने का अधिकार होगा।

15) ठेकेदार को उसके कर्मचारियों आदि के लिए संस्थान परिसर में कोई आवास प्रदान नहीं किया जाएगा। संस्थान के अधिकारी कभी भी रात में औचक निरीक्षण कर सकते हैं और यदि

यह पाया गया कि कोई भी मेस कर्मचारी सेंट्रल मेस में रात में रह रहा है तो ठेकेदार पर एकमुश्त रू. 20,000/- (बीस हजार रुपये) का अर्थदंड लगाया जाएगा। रू. 20,000/- का अर्थदंड एक महीने में केवल एक बार लगाया जाएगा।

16) किसी भी परिस्थिति में किसी और को किराये पर (सब-लेटिंग) या साझेदारी पर (सब-कान्ट्रैक्टिंग) पर ठेका देने की अनुमति नहीं होगी।

17) मेस कर्मचारियों को मेस के किचन और डाईनिंग हाल में काम करने योग्य स्वस्थ रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार की छुआछूत की बीमारी नहीं होनी चाहिए।

18) निविदाकार द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट संलग्नक-4 पर उपलब्ध है। उन्हें भरकर तकनीकी बोली के साथ जमा करना होगा।

III. टेंडर जमा करना

भाग ए (तकनीकी बोली)

(अ) निविदाकार का पूर्ण विवरण

(ब) तकनीकी पात्रता मापदंड में वर्णित सभी. वैधानिक दस्तावेज एवं प्रमाणपत्र

(स) विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगा निविदा

प्रपत्र

(द) ईएमडी

भाग - बी (वित्तीय बोली)

(अ) वाणिज्यिक बोली जिसमें दर का उल्लेख किया गया हो।

निविदा दो लिफाफों में जमा करनी होगी। पहले लिफाफे को भाग - ए नाम दिया गया है जिसमें तकनीकी बोली का विवरण रहता है। इसमें निविदा प्रपत्र, निविदाकार का पूर्ण विवरण, 200000/- (दो लाख) रुपये की ईएमडी जमा करने संबंधी जानकारी शामिल है। इस लिफाफे पर बड़े अक्षरों में " भाग -ए " मेस -II के लिए निविदा (टेंडर) " लिखा जाना चाहिए। दूसरे लिफाफे को भाग - बी नाम दिया गया है जिस पर बड़े अक्षरों में " भाग - बी " मेस -II के लिए निविदा (टेंडर)" लिखा जाना चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखना चाहिए जिस पर बड़े अक्षरों में " मेस -II के लिए ठेका हेतु निविदा (टेंडर) लिखा होना चाहिए। इस बड़े लिफाफे पर यह पता लिखा होना चाहिए : कुलसचिव, पीडीपीएम - आईआईआईटीडीएम, जबलपुर, डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट आफिस: खमरिया,जबलपुर-482005 और पता लिखे इस लिफाफे को निविदा जमा करने की अंतिम तारीख तक या उससे पहले जमा कर देना चाहिए।

1) प्रस्तुत दर में सभी प्रकार के कर और उपकर भी शामिल होने चाहिए।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

- 2) प्रस्तुत दर की वैधता निविदा खुलने की तिथि के बाद कम से कम 90 दिनों तक होनी चाहिए।
- 3) ठेका एक साल की अवधि के लिए होगा जिसे एक साल की समाप्ति पर संतोषजनक सेवा और दोनो पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर समान नियमों एवं शर्तों के साथ एक और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- 4) सभी निविदाओं और लिफाफों पर निविदाकार का नाम और पता लिखा होना चाहिए। साथ ही निविदा के सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या, मुहर तथा निविदाकार का हस्ताक्षर होना चाहिए।
- 5) आवश्यकतानुसार कम समय की सूचना पर निविदाकार को संस्थान आकर चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- 6) बोली के पूर्व बैठक: बोली लगाने के पहले की बैठक निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जाएगी।
- 7) वे ठेकेदार जिन्हें निविदा प्रपत्रों के नियमों एवं शर्तों के बारे में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहिए, वे बैठक में भाग ले सकते हैं।
- 8) पूरी तरह से भरे हुए निविदा प्रपत्र दर्शाए गए समय के अनुसार कुलसचिव , पीडीपीएम - आईआईआईटीडीएम , जबलपुर के पास पहुंच जाना चाहिए।
- 9) तकनीकी बोली समय योजना के अनुसार संस्थान के कोर लैब काम्प्लैक्स में उन निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएगी जो स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहेंगे ।
- 10) उस तिथि को केवल भाग -ए तकनीकी बोली खोली जाएगी । भाग-ए में दी गई जानकारी के आधार पर निविदाकारों की छंटनी की जाएगी । छांटे गए निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत भाग -बी किसी अन्य तिथि पर खोली जाएगी जिसकी सूचना निविदाकारों को दी जाएगी।
11. संस्थान एक समिति का गठन कर सकती है जो ठेकेदार द्वारा किसी दूसरी जगह उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करेगी । संस्थान निविदाकार से बोली पर अंतिम निर्णय लेने के पहले सैंपल टेस्टिंग के लिए भोजन पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है ।
12. ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य संवैधानिक लाभ जैसे ईपीएफ, ईएसआई आदि सभी वैधानिक आवश्यकतायें पूरी करनी होंगी। ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही

न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का उचित लेखा जोखा रखना होगा। ठेकेदार किसी भी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में असफल रहने पर उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उसे संस्थान को हर उस भार की भरपाई करनी होगी जो ठेकेदार द्वारा ऐसे संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में संस्थान पर पड़ेगा ।

13. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार के विवादास्पद और/या बाध्यकारी शर्त की स्थिति में उस निविदा को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा ।

14. ठेकेदार को कम से कम 32 कुशल कर्मचारी (स्क्विड वर्कर्स) रखने होंगे जिनमें से मेस मैनेजर (1), मेस सुपरवाइज़र (3), हेड कुक (2), कुक (4), कुक हेल्पर (8), सर्विंग कर्मचारी (8), बर्तन धोने वाले कर्मचारी (4), क्लीनर (2) होंगे । मेस मैनेजर को कम से कम स्नातक होना चाहिए और इसके साथ होटल /मेस मैनेजमेंट में ग्रैजुएशन के बाद 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए ।

15. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कोई भी कर्मचारी आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए । ठेकेदार द्वारा निविदा के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा । ठेकेदार को ठेका मंजूर होने के एक महीने के अंदर नियुक्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट / आधार नंबर कापी/ मेडिकल रिपोर्ट आदि संस्थान के पास जमा करना होगा ।

16. टेंडर के सभी दस्तावेज अंग्रेजी / हिंदी में होने चाहिए ।

17. जिस ठेकेदार को ठेका मिलेगा उसे एक निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र देना होगा ।

18. टेंडर हर तरह से पूर्ण होना चाहिए ।

VI. सामान्य परिभाषायें

- 1) पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएमजे या संस्थान का अभिप्राय है : पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
- 2) निदेशक का अभिप्राय है : निदेशक, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से
- 3) कुलसचिव का अभिप्राय है : कुलसचिव, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि से
- 4) निविदाकार का अभिप्राय ठेकेदार से भी है जो सफल बोलीकर्ता (बिडर) सिद्ध होता है ।

VII. सहमति हेतु नियम एवं शर्तें

- 1) विवाद :- सभी तरह के विवाद निदेशक, पीडीपीएम- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर के संग्यान में लाए जाएंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
- 2) कर्मचारियों का बीमा:- ठेकेदार द्वारा काम पर लगाये गए सभी कर्मचारियों का दुर्घटना एवं चोट के लिए अपनी कीमत पर बीमा कराना होगा । निविदाकार को प्रत्येक कर्मचारी के पक्ष में ईएसआई एवं ईपीएफ का भुगतान करना होगा और उक्त भुगतान के एक महीने के अंदर भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण वाउचर सहित जमा करना होगा ।
- 3) भुगतान शर्तें:- संतोषजनक सेवा , कार्य विवरण में उल्लिखित विविध कार्य, कार्य शर्त तथा काम पर लगाये गए कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर मासिक भुगतान किया जाएगा । भुगतान और छूट संबंधी विस्तृत विवरण सेक्शन -XI में दिया गया है।
- 4) इनडेमिनिटी (क्षतिपूर्ति):- ठेकेदार द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी की गलती से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु ठेकेदार को संस्थान के पक्ष में एक बांड भरना होगा । ठेकेदार और उसके कर्मचारियों की गलती या लापरवाही से यदि संस्थान (लोग और/या संपत्ति) को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई/ मरम्मत ठेकेदार को करनी होगी ।

यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी परिस्थिति में पीडीपीएम -भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर का कर्मचारी नहीं माना जाएगा । ठेकेदार को किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के विभाग / विधिक निकाय या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उनके नियमों/ विधिक प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में की गई किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई. पेनाल्टी से संस्थान का बचाव करना होगा । संस्थान किसी भी कर्मचारी को हुई क्षति या उसे मिलने वाले मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ठेकेदार द्वारा इस आशय का एक बांड संस्थान के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

5) सुरक्षा निधि:- ठेकेदार को ठेका शुरू करने के पहले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पीडीपीएम-आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी रु. 500000/- (पांच लाख) की परफार्मेंस बैंक गारन्टी सुरक्षा निधि के रूप में जमा करनी होगी ।

यदि ठेकेदार संस्थान द्वारा निर्धारित कार्य एवं संबंधित अन्य विविध कार्य तय समय सीमा के अंदर नहीं कर पाता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह पेनाल्टी के प्रावधानों के अनुसार पेनाल्टी लगाये और ऐसी स्थिति में संस्थान को किसी अन्य से काम कराने का भी अधिकार होगा ।

ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और उसे निम्नानुसार वापस कर दिया जाएगा :-

i. ठेकेदार को सौंपे गए कार्य संतोषजनक ढंग से पूरे होने पर। यदि कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण नहीं होता है तो ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा निधि वापस नहीं की जाएगी ।

ii. ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा निधि की वापसी सेवा कार्य के संतोषजनक अनुपालन , कर्मचारियों को भविष्यनिधि और न्यूनतम वेतन भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही की जाएगी ।

हाजिरी, परिचय, वेतन, भविष्यनिधि आदि से संबंधित लेखा बही ठीक ढंग से तैयार रखी जानी चाहिए और जब भी कहा जाये उसे संस्थान के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

ठेकेदार को सप्ताह के सभी दिनों की सभी पालियों में सभी वर्गों के आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी ।

सभी कर्मचारियों के अनुशासन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा ।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

सभी मेस के लिए सामान्य कार्य समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा । तथापि विशेष अवसरों पर संस्थान द्वारा तय कार्य समय अवधि के बाद भी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के विशेष सेवायें ली जा सकती हैं ।

IX. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों हेतु दिशानिर्देश

- 1) कर्मचारी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संस्थान को किसी भी प्रकार का नुकसान हो।
- 2) कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे और न ही वे संस्थान पर किसी भी प्रकार का दावा करेंगे ।
- 3) यूनीफार्म: ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी सेवा कार्य अवधि के दौरान संबंधित एजेंसी द्वारा स्वीकृत यूनिफार्म (केवल एप्रन) पहनेंगे ताकि अलग अलग एजेंसियों से उनकी समुचित पहचान हो सके।
- 4) ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे आईआईआईटीडीएमजे के अधिकारी सत्यापित एवं प्रमाणित करेंगे ।
- 5) कर्मचारियों को संस्थान के सुरक्षा सुपरवाइजर द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा।
- 6) कर्मचारी किसी भी प्रकार के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे।
- 7) ठेकेदार के कर्मचारी केवल दिन के समय अल्पावकाश के दौरान मेस की डार्मिटरी में विश्राम कर सकते हैं।
- 8) ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को अपनी साफ सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए ।
- 9) नियुक्त किये जाने वाले सभी कर्मचारियों की सूची और उनका का पूर्ण विवरण संस्थान के सेंट्रल मेस प्रभारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही की जानी चाहिए ।
- 10) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कर्मचारी छात्रों / मेस का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी दुर्व्यवहार और /या गाली गलौज के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा और इस तरह की किसी भी घटना में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
- 11) संस्थान परिसर में मेस के कर्मचारी द्वारा धूम्रपान और शराब आदि का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा ।
- 12) मेस ठेके के लिए जरूरी सभी प्रकार की सामग्री , मजदूरों एवं अन्य विविध कामों की लागत ठेकेदार को वहन करना होगा । ठेकेदार काम पर लगाये जाने वाले कर्मचारियों की स्थिति, यंत्र, उपकरण, संयंत्र आदि की जानकारी देगा । परिनिर्धारित .किए गए या बिना उसके ठेकेदार द्वारा देय किसी भी दावे की वसूली करने का अधिकार संस्थान को होगा । यह वसूली एकमुश्त या किश्तों में या ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा निधि से कर ली जाएगी । यदि सुरक्षा निधि की राशि पर्याप्त नहीं होगी तब वसूल की जाने वाली बची हुई राशि या पूरी राशि उस राशि में से वसूली जाएगी जो ठेकेदार

को उस समय या उसके बाद कभी भी देय होगी या ठेकेदार की सुरक्षा निधि वसूली अंतिम रूप से पूरी होने तक रोक कर रखी जाएगी ।

X. अन्य शर्तें

1) ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार के रेकार्ड हमेशा तैयार रखा जाएगा जिसमें प्रतिदिन के कार्यों का लेखा जोखा रहेगा और उसका प्रमाणीकरण उस कार्य हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा । इन्हीं रेकार्ड / दस्तावेज के आधार पर मासिक बिल बनाए जाएंगे। इन दस्तावेजों की दो प्रतियां बनाई जायेंगी जिनमें से एक प्रति ठेकेदार के सुपरवाइजर के पास और दूसरी प्रति संस्थान के पास रहेगी ।

2) कार्य क्षेत्र के विवरण में विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन तय कार्यक्रम और समय के अंदर करना होगा ।

3) ठेकेदार द्वारा हर मेस में एक शिकायत पुस्तिका / पंजी (रजिस्टर) रखी जाएगी जिसे किसी भी मेस उपयोगकर्ता द्वारा मांगे जाने पर तुरंत उपलब्ध करना होगा । इस शिकायत पुस्तिका को समय समय पर निरीक्षण हेतु मेस कमेटी के पास प्रस्तुत करना होगा ।

4) मुख्य भोजन सूची के दर के आधार पर निविदा में दी गई कीमतों का तुलनात्मक परीक्षण किया जाएगा ।

XI. भुगतान का तरीका

(1) भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा । ठेकेदार को हर महीने के पहले हफ्ते में सेंट्रल मेस आफिस में बिल प्रस्तुत करना होगा ।

(2) चूंकि दर में जीएसटी भी शामिल है, इसलिए वास्तविक दर और जीएसटी को स्पष्ट रूप से अलग अलग दर्शाना होगा ।

(3) पहले माह की जीएसटी राशि रोक कर रखी जाएगी जिसका भुगतान अगले माह के बिल के साथ सफल कार्य निष्पादन और अगले माह के बिल के साथ जीएसटी चालान तथा जीएसटी रिटर्न जमा करने के बाद किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक माह के जीएसटी चालान और जीएसटी रिटर्न की जांच संस्थान के आडिट विभाग अथवा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाएगी ।

(5) यदि ठेकेदार द्वारा लगातार तीन महीने तक जीएसटी जमा नहीं की जाती है तो उसका भुगतान रोक दिया जाएगा और जीएसटी चालान एवं जीएसटी रिटर्न जमा करने के बाद ही भुगतान किया जाएगा ।

(6) संस्थान द्वारा केवल ऑनलाईन लेनदेन के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए ठेकेदार को अपने बैंक का पूरा ब्यौरा कार्यालय में देना होगा ।

(7) संस्थान केवल मेस के बिल का भुगतान करेगा । किसी भी प्रकार के बैंक शुल्क का वहन ठेकेदार को करना होगा ।

(8) ठेकेदार को किसी भी प्रकार के नगद लेनदेन की अनुमति नहीं होगी ।

(9) यदि कोई छात्र छुट्टी या शैक्षणिक कार्यालय द्वारा स्वीकृत अवकाश के कारण लगातार तीन या उससे अधिक दिन तक मेस से गैरहाजिर रहता है तो उसे मासिक भुगतान में तीन दिनों की छूट दी जाएगी और ऐसे छात्र मासिक भुगतान में से अनुपस्थिति वाले दिनों का शुल्क काटकर शेष राशि का भुगतान करेंगे ।

(10) बिंदु संख्या (9) के अलावा छात्र शैक्षणिक अवधि में शैक्षणिक कार्यालय से शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत हुए बिना एक सेमेस्टर में अधिकतम 15 दिनों की छूट ले सकते हैं। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्र को सेंट्रल मेस में इस उद्देश्य से रखे रजिस्टर में इस आशय का उल्लेख एक दिन पहले करना होगा । छूट की यह सुविधा एक सेमेस्टर में तीन बार लगातार 5 दिनों के एक ब्लाक के लिए अर्थात् (5+5+5) होगी ।

(11) पंजीकृत छात्रों के अलावा मेस का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए कूपन जारी किए जाएंगे। कूपन मेस आफिस द्वारा जारी किए जाएंगे न कि ठेकेदार द्वारा । इस संबंध में ठेकेदार को निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-

यदि वास्तविक उपस्थिति और कूपन की संख्या मिलाकर पंजीकृत छात्रों (छूट को छोड़कर) से ज्यादा नहीं है तब भुगतान केवल पंजीकृत छात्रों (छूट को छोड़कर) के मामले में ही किया जाएगा । तथापि, यदि वास्तविक उपस्थिति और कूपन की संख्या मिलाकर पंजीकृत छात्रों (छूट छोड़कर) की संख्या से ज्यादा हो जाती है तब अतिरिक्त कूपन के लिए भुगतान किया जाएगा ।

उदाहरण :-

पंजीकृत छात्रों की संख्या : X
वास्तविक उपस्थिति : अ
कूपन की संख्या : स
छूट पाने वाले छात्रों की संख्या : र
यदि $x-r$ अ + स. भुगतान $= (x-r)$ दर
यदि $x-r$ अ + स भुगतान $= (अ + स)$ दर

नोट:- मेस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पंजीकृत न हो, बिना कूपन के मेस में प्रवेश की अनुमति न दी जाये ।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

XII. प्रारंभिक स्तर पर ठेका रद्द किया जाना

संस्थान को यह अधिकार होगा कि भोजन सामग्री संतोषजनक नहीं पाये जाने पर वह ठेका शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के लिए ठेका रद्द कर दे ।

XIII. दंड का प्रावधान (जुर्माना)

(1) कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उक्ताशय का उल्लेख लिखित रूप में किया जाएगा और उस कार्य का भुगतान नहीं किया जाएगा । भुगतान नहीं किये जाने के कारणों का भी लिखित रूप में उल्लेख किया जाएगा (साफ सफाई , पर्याप्त कर्मचारी, सेवा की क्वालिटी, भोजन सामग्री की क्वालिटी एवं संख्या, कच्चे माल की क्वालिटी आदि मूल्यांकन के कुछ मापदंड होंगे)

(2) प्रत्येक गलती / असंतोषजनक सेवा पर अधिकतम 10000/- का आर्थिक दंड लगाया जाएगा जिसका निर्णय मेस कमेटी की सिफारिश पर फेकल्टी प्रभारी द्वारा लिया जाएगा । यह दंड पृष्ठ 8 के बिंदु 15 के उल्लंघन पर लगाये गए रू 20,000/- के अर्थ दंड के अतिरिक्त होगा।

(3) यदि कोई लिखित शिकायत भोजन की कमी को लेकर प्राप्त होती है (कम से कम 10 छात्रों द्वारा प्रमाणित) तो ऐसी स्थिति में 100 छात्रों के भोजन की कीमत के बराबर की राशि ठेकेदार के भुगतान से काट ली जाएगी । यदि ऐसी स्थिति तीन बार उत्पन्न होती है तो ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।

(4) कार्य का क्रियान्वयन बाधित होने की कीमत और जुर्माना (पेनाल्टी) दोनों की वसूली अगले बिल से की जाएगी । यदि वसूली की राशि बिल की राशि से ज्यादा होती है तो वसूली की शेष राशि सुरक्षा निधि से 15 दिनों के अंदर की जाएगी ।

(5) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए औचक/नियमित निरीक्षण के दौरान यदि कच्चे माल की क्वालिटी स्तरहीन पाई गई तो माल की निम्नस्तरीय क्वालिटी के आधार पर उस दिन के बिल से 10-50 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी । यदि एक्सपायरी की तारीख के बाद का कोई खाद्य पदार्थ पाया जाता है तो ऐसी हर घटना पर 2000 रुपये की पेनाल्टी लगाई जाएगी और संस्थान द्वारा इसप्रकार की सभी सामग्री जब्त कर ली जाएगी । ऐसी तीन घटनाओं के बाद ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।

(6) यदि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ / भोजन की क्वालिटी / मात्रा ठीक नहीं पाई जाती है तब उस दिन के बिल की 10-50 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी । इस प्रकार की तीन घटनाओं के बाद ठेका रद्द कर दिया जाएगा ।

(7) काम पर लगाये गए कर्मचारियों की संख्या कम होने की स्थिति में टेंडर प्रपत्र में विनिर्दिष्ट अर्थ दंड के अलावा कम कर्मचारियों के वेतन की 1.25 गुनी राशि काट ली जाएगी । आने वाले प्रत्येक माह की 10 तारीख को या उससे पहले बिल जमा करना होगा और उक्त कार्य की देखरेख करने वाले संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित करने के 20 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा ।

वैधानिक कर जमा करने के प्रमाणस्वरूप पेमेंट चालान की प्रति हर तीन माह में संस्थान के पास जमा करना होगा ।

(8) यदि ठेकेदार का कर्मचारी कार्य समय के दौरान एजेंसी द्वारा प्रदान किया गया स्वीकृत एप्रन नहीं पहनता है तो ठेकेदार पर प्रति कर्मचारी 100/- प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।

(9) यदि ठेकेदार द्वारा भोजन के प्रत्येक राउंड में टेबल पर पानी की सप्लाई नहीं की जाती है तो एक बार ऐसा पाए जाने पर 1000/- रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा ।

(10) छात्रों को परोसे गए भोजन के प्रत्येक राउंड के बाद क्लीनर को डाईनिंग टेबल की सफाई करनी होगी । ऐसा नहीं करने पर एक बार में 1000/- का जुर्माना लगाया जाएगा ।

संलग्नक -1

नोट:- बोली के भाग -ए में निविदाकार का पूरा ब्यौरा (तकनीकी बोली) दें।

भाग - ए

आईआईआईटीडीएम जबलपुर के छात्र मेस के लिए निविदा

1. फर्म / संस्था का नाम
2. पता
3. टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर । संपर्क सूत्र का नाम
4. फैक्स नंबर
5. ईमेल आईडी
6. क्या आपके पास जबलपुर में कोई आफिस है ? यदि हां तो उस आफिस का पता एवं टेलीफोन नंबर लिखिए ।
7. स्थापना का माह और वर्ष
- 8 प्रोपराईटर/ पार्टनर/ निदेशकों के नाम
9. इस क्षेत्र में काम करने के अनुभव के वर्ष , अनुशंसा एवं प्रमाण पत्र
10. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक टर्नओवर (लेखापरीक्षित (आडिट) वित्तीय प्रतिवेदन संलग्न करें

2016-17

2015-16

2014-15

11. पैन नंबर एवं अद्यतन एसेसमेंट रिपोर्ट
12. रजिस्ट्रेशन नंबर (प्रमाण संलग्न करें)
13. ईपीएफ नंबर (प्रमाण संलग्न करें)
14. ईएसआई नंबर (प्रमाण संलग्न करें)
15. जीएसटी रजिस्ट्रेशन (प्रमाण संलग्न करें)
16. बैंक का ब्यौरा (बैंक का नाम, एकाउंट नंबर एवं पता) (ईसीएस भुगतान)
17. ईएमडी का ब्यौरा

नोट :- बोली के भाग -ए में संबंधित ब्यौरा दें

पिछले पांच वर्षों में सफल ठेकों का ब्यौरा

(कम से कम तीन)

क्र.सं.	ठेके की अवधि		संस्था का नाम और पता अनुशंसा पत्र सहित	संपर्क सूत्र का नाम एवं फोन नंबर	ठेके का मूल्य और अन्य ब्यौरे	कार्य का सफल क्रियान्वयन प्रमाण पत्र	टिप्पणी
	से	तक					

वर्तमान ठेकों का ब्यौरा यदि कोई हो या आप द्वारा दी जा रही समान सेवा का ब्यौरा जो हमारे अधिकारियों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध हो सके।

क्र.सं.	ठेके की अवधि		संस्था का नाम और पता अनुशंसा पत्र सहित	संपर्क सूत्र का नाम एवं फोन नंबर	ठेके का मूल्य और अन्य ब्यौरे	कार्य का सफल क्रियान्वयन प्रमाण पत्र	टिप्पणी
	से	तक					

स्थान
तारीख

निविदाकार का हस्ताक्षर

संलग्नक -2
शाकाहारी भोजन सामग्री

	नाश्ता	लंच	डिनर
सोमवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
मंगलवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
बुधवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
वृहस्पतिवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

	विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
शुक्रवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
शनिवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री
रविवार	चाय, दूध, स्पाउट (200 मिली) ब्रेड, अमूल बटर (10 ग्राम पैक) /जाम और विकल्प -1 में से कोई एक सामग्री	चावल और चपाती, मिश्रित अचार, मौसमी सब्जी, ग्रीन सलाद, (कम से कम दो प्रकार एवं लेमन, चाट मसाला) और विकल्प -2 में से कोई एक सामग्री	मटर पनीर अरहर दाल, चावल और चपाती

नोट: संलग्नक -2 में दी गई भोजन सामग्री का निर्णय मेस कमेटी और मेस ठेकेदार द्वारा लिया जाएगा । किसी भी विवाद की स्थिति में प्रकरण सेंट्रल मेस के फेकल्टी प्रभारी के पास भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा । तथापि, किसी भी अंतिम निर्णय के पहले प्रभारी दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त करेंगे ।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

2. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक विकल्प में से एक सामग्री दी जाएगी अर्थात नाश्ते में विकल्प -1 में से एक सामग्री और लंच एवं डिनर में विकल्प -2 में से एक एक सामग्री । विकल्पवार सामग्री सूची नीचे दी गई है ।

विकल्प -1

- (1) पोहा -जलेबी (2) पूड़ी और सब्जी
- (3) हलवा (सूजी /मूंग/गाजर) और उबला चना
- (4) इडली एवं सांभर (5) उत्तपम (6) पाव -भाजी (7) आलू -पराठा (8) सांभर- दोसा नारियल चटनी के साथ (9) वेज कटलेट (10) सांभर -वड़ा (11) नमकीन सेवई (12) वेज पोटैटो सैंडविच (13) ब्रेड पकौड़ा

विकल्प -2

- (अ) दाल:(8बार) अरहर, चना, ऊड़द, खड़ी मसूर, मसूर, मूंग दाल, दाल मखानी,
- (ब) पनीर:(03 बार) मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर इत्यादि
- (स) बीन:(03 बार) राजमा, छोले इत्यादि

3. मेस कमेटी और ठेकेदार महीने में एक बार बैठक कर भोजन सूची या मौसमी सब्जी में बदलाव लाने पर विचार करेंगे।

संलग्नक -2 में वर्णित भोजन सूची के अलावा ठेकेदार को निम्नांकित सामग्री भी परोसना है :

(अ) मिठाई (हफ्ते में पांच बार) : गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमरती (02 नग), आईसक्रीम (एक स्कूप), गाजर /मूंग दाल का हलवा, नारियल बर्फी इत्यादि

(ब) दही चीनी सहित (हफ्ते में छः बार) (एक कटोरी) या रायता (एक कटोरी)

(स) रसम (हफ्ते में तीन बार)

(द) जीरा राईस या वेज पुलाव (हफ्ते में तीन बार)

(य) हफ्ते में एक विशेष भोजन जिसमें 02 नग मिठाई, रायता, पनीर, तवा सब्जी, पापड़, वेज पुलाव, पूड़ी या पराठा इत्यादि

(र)पापड़ (हफ्ते में 03 बार)

(ल) हरी चटनी (हफ्ते में 03 बार)

(व) सौंफ और निराश (प्रति दिन एवं हर भोजन के बाद)

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

संलग्नक - 3

भाग - बी

पीडीपीएम -आईआईआईटीडीएम जबलपुर के मेस (शाकाहारी) के लिए वाणिज्यिक बोली

संलग्न भोजन सामग्री सूची के अनुसार प्रति छात्र / प्रति माह/ प्रति भोजन (नाश्ता/लंच/डिनर) के लिए प्रस्तावित दर

नाश्ता (दर प्रति छात्र प्रति माह)	लंच (प्रति छात्र प्रति माह)	डिनर (प्रति छात्र प्रति माह)	कुल (समस्त कर सहित)

नोट: किसी भी गणना की दृष्टि से माह का मतलब 30 दिन से होगा भले ही किसी विशेष माह में दिनों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो।

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा

संलग्नक - 4

चेकलिस्ट

कृपया इस चेकलिस्ट को भरिए और निम्नांकित सामग्री के लिए तकनीकी पात्रता स्थापित करने हेतु उपयुक्त संदर्भ (पृष्ठ संख्या) का उल्लेख कीजिये। इस शीट (पत्रक) को नहीं भरने पर निविदाकार अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आसानी से मूल्यांकन के लिए इस शीट को सभी दस्तावेजों के ऊपर रखना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	हां / नहीं	संदर्भ क्र. / पृष्ठ संख्या
1.	वैध लाइसेंस की प्रति/ पंजीकरण प्रमाण पत्र		
2.	कोर्ट द्वारा आरोपी सिद्ध न होने का शपथपत्र		
3.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों का बैलेंस शीट या वार्षिक टर्नओवर का प्रामाणिक दस्तावेज		
4.	कम से कम तीन संस्थाओं में सफलतापूर्वक काम करने का प्रमाणपत्र		
5.	ब्लैकलिस्ट न होने का शपथपत्र		
6.	पिछले 05 वर्षों के अनुभव का प्रमाणपत्र		
7.	जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति		
8.	ईएसआई, ईपीएफ सर्टिफिकेट की प्रति		
9.	जबलपुर में देय आईआईआईटीडीएम के पक्ष में जारी ईएमडी		
10.	निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी बोली (सभी पृष्ठ)		
11.	पैन कार्ड की प्रति		
12.	निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित वित्तीय बोली (सभी पृष्ठ)		

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर)

सहित

(निविदाकार का

नाम एवं मुहर

किसी संशय की स्थिति में अग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा